पिछला

अगल



The Gazette of Inc

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ü) PART II-Section 3-Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2009/पौष 22, 1930

No. 681

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2009/PAUSA 22, 1930

## पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अधिसचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2009

का.आ. 120(अ).--जैव-विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 61 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदृद्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2708 (अ) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :--

उपर्युक्त अधिसूचना में :---

तालिका में क्रम सं. 3, क्रम सं. 4 और उनके कॉलम सं. 2 और 3 में की गई अनुरूपी-प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अन्त: स्थापित किया जाएगा, नामत: :---

क्रम सं	. जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61 (क) के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
4.	वन अधिकारी जो रेंज ऑफिसर	उनकें धपने-अपने

के रैंक से कम न हों अधिकार क्षेत्र में [फा. सं. 28-14/2008-सीएस-III (एन बी ए)]

ए. के गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना दिनांक 17 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2708(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी।

155 GV2009

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2009.....

S.O. 120(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 61 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government hereby make the following further amendments in the Notification No.S.O. 2708 (E), dated 17th November, 2008 namely:-

In the said Notification:-

In the TABLE, after Sl.No. 3, Sl.No. 4 and the corre sponding entries in column No. 2 & 3 thereof, shall be inserted, namely :--

Sl.No. Officer authorised to file complaints under Section 61 (a) of the Biological Diversity Act, 2002	Area of jurisdiction
(1)(1)(1)(2)	(3)
4. Forest Officers not below the rank of Range Officers	In their respective

[F. No. 28-14/2008-CS-III (NBA)] A. K. GOYAL, Jt. Secy.

Note: The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide Notification No. S.O. 2708 (E), dated 17th November, 2008.